न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 14 / 2020 (Bank Case)

"एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री बृजमोहन पुत्र श्री छोटु लाल (ऋणी व बंधनकर्ता)
   पता– संजय नगर सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा, राजस्थान–324001
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बृजमोहन (सहऋणी)
   पता– 1317, संजय नगर वार्ड नं0 03, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान–325204
3. श्री सत्य नारायण जंगम पुत्र श्री लोडकी लाल जंगम (जमानती)
   पता– 1308, संजय नगर, वार्ड नं0 3, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान–325204

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित–श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.01.2018 को रूपये 4,00,000/–(अक्षरेः रूपये चार लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री बृजमोहन पुत्र छोटु लाल जाति माली की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 45, मिसल संख्या 13/208, वार्ड नं0 03, संजय नगर, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 3200 वर्ग फीट हैं, जिसकी चतर्थ सीमाऐं– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में श्री छोटु लाल का मकान, उत्तर में श्री बृजमोहन का मकान, दक्षिण में श्री भैरूलाल का मकान हैं,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 4,96,930/– (अक्षरे रूपये चार लाख छियानवें हजार नौ सौ तीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 10.07.2019 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The

Scanned by CamScanner

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री बृजमोहन पुत्र छोटु लाल जाति माली की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 45, मिसल संख्या 13/208, वार्ड नं0 03, संजय नगर, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 3200 वर्ग फीट हैं, जिसकी चतर्थ सीमाऐं– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में श्री छोटु लाल का मकान, उत्तर में श्री बृजमोहन का मकान, दक्षिण में श्री भैरूलाल का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब क़ायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner